तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	अपील संख्या 166/2020 सुगढसिंह बनाम नानकचन्द	
2.1.2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट उपस्थित नहीं और ना ही उनकी ओर से कोई वकील अथवा प्रतिनिधि उपस्थित आये। अपीलान्टस को कई बार आवाजे दिलवायी गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये। इस अपील मे पक्षकारान की निरन्तर अनुपस्थिति चल रही है। मशाह्ला की रोशनी मे न्यायालय हाजा से नोटिस क्रमांक 671 दिनांक 12.7.2022 को जारी किये गये किन्तु वे उपस्थित नही आये। प्रकरण वर्ष 2002 में दायर हुआ है जो काफी पुराना है अपीलान्ट के द्वारा स्वयं के प्रकरण में इस प्रकार दिलचस्पी नहीं लिया जाना और अपनी ओर से कोई प्रतिनिधि अथवा वकील को पैरवी हेतु अधिकृत नहीं किया जाना उनकी प्रकरण को आगे नहीं चलाने की मंशा को जाहिर करता है। न्यायालय हाजा मे भी दिनांक 23.3.2020 से निरन्तर पक्षकारान की अनुपस्थिति चल रही है। अपीलान्ट के स्वयं के द्वारा दायर अपील मे विधिवत पैरवी नही करना और निरन्तर अनुपस्थित रहना न्यायिक प्रक्रियाओ में बाधा उत्पन्न करता है। अपीलान्ट का अपनी अपील के प्रति सजग रहना एवं न्यायिक प्रक्रियाओ मे अदालत का सहयोग करना प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किये जाने मे बेहद आवश्यक रहता है। यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि अपने वाद को सिद्ध करने का पूर्ण रूपेण दायित्व वादी का ही रहता है। किन्तु इस प्रकरण में बिल्कुल उलट देखा गया है। आज भी अपीलान्ट को कई बार, बार-बार आवाजें दिलवायी गई किन्तु वे उपस्थित नहीं आये। उनका नियत दिनांक को अपनी अपील मे पैरवी हेतु उपस्थित न होना लम्बे समय से प्रकरण मे कोई विधिवत पैरवी नही किया जाना उनकी प्रकरण को आगे न चलाये जाने की मंशा को दर्शाता है लिहाजा यह अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी मे खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। 2.1.2023 संभागीय आयुक्त भरतपुर	